न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 301/2017
सी0 आई0 एस0 501/2017

सुदामा राय वगै0.....वादीगण।

बनाम्
फुलन सिंह वगै0..... प्रतिवादीगण।

आदेश

22.09.2023

उभय पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी के तरफ से दिनांक–12.01.2023 को दाखिल आवेदन अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 दफा 151 सी0 पी0 सी0 में वादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वाद प्रतिवादी के गवाही में चल रहा है तथा इस वाद के विवादित एराजी से वादी को जबरन बेदखल कर प्रतिवादीगण ईंट, बालू, सीमेंट, गिट्टी वो छड़ गिराकर नया पक्का निर्माण कर तथा अन्य तरह से विवादित एराजी का प्रकृति बदलने पर लगे हुये हैं तथा इस स्थिति किसी भी अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर उनसे विवादित एराजी के यथास्थिति के निश्वत प्रतिवेदन मंगाकर अभिलेख पर रखना आवश्यक है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि किसी अधिवक्ता को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त कर आवेदन में दिये गये बिन्दुओं पर प्रतिवेदन मंगाने का आदेश दिया जाये।

प्रतिवादी के तरफ से दिनांक– 24.04.2023 को प्रतिउत्तर दाखिल करते हुये प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन कानूनतः एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है तथा वादी केवल साक्ष्य इकट्ठा करने हेतु उक्त आवेदन दाखिल किये हैं। प्रतिवादी के विद्वान अधिवकता का ये भी कथन है कि वादी की बहुत पहले बंद हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण के तरफ से पांच साक्षियों का साक्ष्य हो चुका है तथा दोनों पक्ष अपने अपने दावा से सम्बंधित कागजाती साक्ष्य भी दाखिल किया है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि वादी का आवेदन अस्पष्ट है, क्योंकि वादी ने वर्तमान वादी की विवादित एराजी जमीमा नं0 2 को बनाया है जिसमें तमाम प्लाट है वो खतियान का रकबा वो वादी द्वारा दिये गये विवरण दोनों में काफी भिन्नता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण को प्रतिवादीगण के खानदान एवं

लगातार
22.09.2023

विवादित जमीन वो वाद विकय के प्रतिवादीगण के परिवार में बची जमीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वादीगण का प्रतिवादीगण के खानदान वो जमीन से कोई सरोकार नहीं है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के पारा 2 में किसी भी प्लाट, रकबा एवं चौहदी का उल्लेख नहीं किया है। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ये भी कथन करते हैं कि इस आवेदन के आलोक में वादीगण का एकमात्र उद्देश्य अपने दावा के पक्ष में साक्ष्य इकट्ठा करना है। प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ये भी कथन करते हैं कि वादीगण गैर सरोकारी खानदान प्रतिवादीगण वो विवादित जमीन के हैं तथा अनुरोध करते हैं कि वादी का आवेदन को खारिज किया जाये।

उभय पक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा यह वाद जमीमा नं0 2 में दर्ज विवादित एराजी का 1/2 हिस्सा किसी सर्वे जानकार अधिवक्ता नियुक्त कर उनका अलग तख्ता कायम करने हेतु दाखिल किया है। वाद में कई विवादित प्लाट है जिसमें कौन सा प्लाट में प्रतिवादीगण द्वारा ईंट, बालू इकट्ठा किया गया है। इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है। यह वाद प्रारम्भिक बंटवारा हेतु दाखील किया गया है। यह विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अभिलेख पर लाए गए तथ्य को साबित करने का भार इन्हीं पक्षकारों पर होता है जो तथ्य का अस्तित्व में होने या अस्तित्व में नहीं होने का जिक होता है। न्यायालय एवं अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा नहीं किया जा सकता। अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वादी अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य इकट्ठा करना चाहते हैं। अतः वादी द्वारा दाखील आवेदन दिनांक– 12.01.2023 को खारीज किया जाता है।

वास्ते दिनांक–01-12-23.....प्रतिवादी साक्ष्य हेतु।

लेखापित

(राकेश कुमार राकेश)
सब जज द्वितीय, डुमरॉव ।